

## थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से अवैध 150 नशीली अल्प्राजोलम गोलियां बरामद।

**कार्यवाही:-** जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों में अपराधियों पर चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक: 22.10.2020 को समय 03.30 बजे बालाजी बालक नाथ मंदिर के सामने शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभि० मोसीन उर्फ मोहसीन उर्फ शक्तिमान पुत्र इरशाद खान हाल नि० गली न० 10 एच ब्लॉक सुन्दर नगरी झुग्गी दिल्ली मूल पता 3/83 पक्की पुल मोहल्ला चीनी ग्राम चौकी तिकोना थाना नौदरवाजा जिला फर्रुखाबाद को 150 अवैध नशीली अल्प्राजोलम गोलियों सहित साथ गिरफ्तार किया गया है।



### अपराध कारित करने का तरीका:-

अभि० मोसीन उर्फ मोहसीन उर्फ शक्तिमान उपरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया है यह नशीली अल्प्राजोलम गोलियां बेचकर खर्चा चलाता हू।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

मोसीन उर्फ मोहसीन उर्फ शक्तिमान पुत्र इरशाद खान हाल नि० गली न० 10 एच ब्लॉक सुन्दर नगरी झुग्गी दिल्ली मूल पता 3/83 पक्की पुल मोहल्ला चीनी ग्राम चौकी तिकोना थाना नौदरवाजा जिला फर्रुखाबाद उम्र 25 वर्ष

### पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-

1.मु०अ०स० 1256/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद बनाम मोसीन उर्फ मोहसीन उर्फ शक्तिमान उपरोक्त

### बरामदगी का विवरण:-

150 अवैध नशीली गोलियां अल्प्राजोलम

**थाना कविनगर पुलिस द्वारा सोलर ऊर्जा की बैट्री चोरी करने वाले चोर को चोरी की बैट्री सहित 05 घण्टे के भीतर गिरफ्तार किया -**

थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1481/20 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित बैट्री चोर को मय एक चोरी की गयी बैट्री के सै0 7 चौराहा कट से अभियुक्त अर्जुन पुत्र रामखिलावन निवासी 119/7 राजनगर थाना कविनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई बैट्री बरामद कर अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है।

**अपराध कारित करने का तरीका:-**अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसने थाना कविनगर क्षेत्र के सैन्ट्रल पार्क से अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने हेतु एक सोलर ऊर्जा वाली बैट्री चोरी की थी जो उक्त बैट्री को बेचने के लिए जा रहा था थाना कविनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से उक्त चोरी की बैट्री बरामद की गयी।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -**

अर्जुन पुत्र रामखिलावन निवासी 119/7 राजनगर थाना कविनगर गाजियाबाद।

**बरामदगी का विवरण -**

(1) एक चोरी की गई सोलर ऊर्जा की बैट्री

**पंजीकृत अभियोग का विवरण:-**

- 1- मु0अ0सं0 1481/20 धारा 379/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद। अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।



## **थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद की पुलिस टीम द्वारा विस्फोटक पदार्थ/सामग्री बेचने हेतु ले जाते हुए 03 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड पुलिस विस्फोटक पदार्थ /सामग्री बेचने हेतु ले जाते हुए तीन अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

दिनांक 21.10.2020 को थाना टीला मोड पुलिस द्वारा वास्ते गश्त व चैकिंग के दौरान फर्रुखनगर रोड पर भारत सिटी के आगे तीन अभियुक्तगण को विस्फोटक पदार्थ/सामग्री बेचने हेतु ले जाते हुए समय 15.30 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। जिस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 430/20 धारा 9B(1)(b) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पंजीकृत किया।

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण :-**

1. नफीस पुत्र महमूद निवासी फर्रुखनगर असालतपुर थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद
2. मोसिन पुत्र आगा निवासी कुरैशी मौहल्ला असालतपुर फर्रुखनगर थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद
3. सलमान पुत्र महताब निवासी कुरैशी मौहल्ला असालतपुर फर्रुखनगर थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद

### **अपराधिक इतिहास अभियुक्तगण :-**

1. मु0अ0स0 430/20 धारा 9B(1)(b) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम

### **बरामदगी का विवरण**

- अभियुक्तगणों के कब्जे से 03 कट्टे अवैध आतिशबाजी पटाखे (फूलजडी, बिजली पटाखे, गणेश दुरई पटाखे आदि मिश्रित बरामद हुए।



**थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद की पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ,कब्जे से 01 किलो 500 ग्राम गाँजा अवैध व 01 अदद चाकू बरामद:-** थाना टीला मोड पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 1 किलो 500 ग्राम अवैध गाँजा व 01 अदद चाकू सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

**कार्यवाही-** दिनांक 22.10.2020 थाना टीला मोड पुलिस द्वारा देखरेख शान्ति व्यवस्था व रोकथाम जुर्म जरायम ,चैकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति में मामूर होकर लाल गेट से 50 कदम भोपुरा की ओर जा रहे 01 अभियुक्त को 01 किलो 500 ग्राम अवैध गाँजा व 01 अदद नाजायज चाकू सहित समय 02.20 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की । जिसके सम्बंध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 431/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0 432/20 धारा 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किये गये ।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-**

नक्कू उर्फ पप्पू पुत्र रामपाल निवासी डी ब्लाक ,न्यू सीमापुरी शाहदरा ,दिल्ली

**अपराधिक इतिहास अभियुक्त गण**

1. मु0अ0सं0 431/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट
2. मु0अ0सं0 432/20 धारा 4/25 आर्मस एक्ट



**लोनी पुलिस द्वारा पशु क्रूरता करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार:-** थाना लोनी पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को दिनांक 22.10.2020 समय 05.20 बजे अनिल की चक्की के पास वाली गली मौ0 व्यापारियान हल्का चौकी लोनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया ।

कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभियुक्त ने बताया कि साहब हम लोग पशु भैंस को काटकर मांस बेचने को ले जाने वाले थे कि तभी आपने पकड़ लिया । अभियुक्त गण का यह जुर्म धारा 429 भादवि 3/11 पशु क्रूरता अधि0 की हद को पहुंचता है।

**अपराध कारित करने का तरीका:-**

उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्तगणों ने पूछने पर एक स्वर में बताया कि हम लोग अवैध रूप से पशु भैंस काटकर मांस को बेचकर कुछ लाभ कमा लेते हैं । जिससे हमारा खर्च चल जाता है ।

## नाम पता गिरफ्तार अभिगण:-

- 1.शराफत पुत्र कल्लू निवासी मौ० व्यापारियान अनिल की चक्की के बराबर वाली गली लोनी थाना लोनी गा०बाद
- 2.नौशाद पुत्र लियाकत निवासी मुगल गार्डन थाना लोनी गा०बाद व हाल पता दुकान व मकान लियाकत मौ० व्यापारियान थाना लोनी गा०बाद

## आपराधिक विवरण:-

- 1.मु०अ०सं०-883/2020 धारा 429/353/186 भादवि 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना लोनी गा०बाद
- 2.मु०अ०सं० -884/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी गा०बाद
- 3.मु०अ०सं० -885/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी गा०बाद

### बरामदगी का विवरण –

1. आठ कुन्टल मांस ( पशु भैंस)  
02 गणाशा व 2 छुरा (लोहे के



## थाना लोनी क्षेत्र में शराब तस्करी करने वाला अभियुक्त 46 पच्चे नाजायज देशी शराब सहित

गिरफ्तार:- थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त महेश पुत्र मंगल सैन नि० म०न० 103 बलरामनगर लोनी जिला गा०बाद को 46 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का जिन पर for sale In HARYANA ONLY लिखा है । के साथ बन्थला फ्लाई ओवर के नीचे रेलवे लाईन के पास हल्का चौकी बन्थला से दिनांक 22.10.2020 समय 08.00 बजे गिरफ्तार किया गया ।

## नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

महेश पुत्र मंगल सैन नि० म०न० 103 बलरामनगर लोनी जिला गाजियाबाद

## अभियुक्त महेश के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण:

मु0अ0सं0-886/2020 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना लोनी गा0बाद

**गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

1. उ0नि0श्री रामप्रताप राघव चौकी प्रभारी बन्धला थाना लोनी गा0बाद
2. का0 468 धनेश कुमार .

**बरामदगी का विवरण:-**

46 पक्के देशी शराब हरियाणा मार्का जिन पर for sale In HARYANA ONLY लिखा है।

